संख्या 14034/5/81-स्थापना(घ)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 8-3-1983

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- विभागीय परीक्षा में प्रवेश के प्रयोजन से प्रशिक्षण अवधि का गिना जाना।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय परिषद् (जे०सी०एम०) के कर्मचारी पक्ष ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया था कि किसी ग्रेड में किसी कर्मचारी की नियमित नियुक्ति से पूर्व प्रशिक्षण अवधि के दौरान उसके द्वारा की गई सेवा को विभागीय परीक्षा में बैठने की पात्रता के लिए ड्यूटी समझा जाना चाहिए।

2. राष्ट्रीय परिषद् (जे०सी०एम०) के कर्मचारी पक्ष द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करके यह निर्णय किया गया है कि ऐसे सभी मामलों में जहां किसी पद पर वास्तविक नियुक्ति से पहले सेवा-पूर्व प्रशिक्षण आवश्यक समझा जाता है, ऐसी नियुक्ति से ठीक पहले किसी अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण में बिताई गई अवधि को विभागीय परीक्षाओं में प्रवेश के लिए पात्रता के प्रयोजन से अर्हक सेवा के रूप में गिना जाएगा भले ही उस अधिकारी को पद के वेतनमान के बजाए केवल नाममात्र का भत्ता ही क्यों न दिया गया हो।

3. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त निर्णय को सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों सहित अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत सभी अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए उनकी जानकारी में ला दें।

(जे०के० शर्मा)
निदेशक

सेवा में,

मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, डाक व तार महा निदेशालय सहित भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग और गृह मंत्रालय के सभी सम्बद्ध कार्यालय।

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के सभी नियमित अनुभाग।

प्रति- संयुक्त परामर्श तंत्र (जे०सी०एम०) 9 अशोक रोड नई दिल्ली के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्यों को।